

रिपोर्ट पूर्ववर्ती हल्का पांखेडा

निवेदन है कि ग्राम बांकली की जमावन्दी खाता सं. 5, 74, 282 में धारकता नाम मांगु पि अंकार दर्ज है एवं पत्रों अपन सम्पूर्ण दरतावेज के आधार पर अपना नाम मांगीलाल पिता अंकार दर्शगा दर्ज करवाना चाहता है। अतः पत्रों का नाम दरतावेज के आधार पर मांगु के बजाय मांगीलाल किया जाये हेतु रिपोर्ट जीमान की सेवा में पेश है।

MA  
18/10/25  
प्र-आजी

रिपोर्ट सु.अ.निरीक्षक वृत्त लेखवा  
महेश जी

निवेदन है कि ग्राम बांकली के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी सम्वत् 2075-78 के में पत्रों का नाम मांगु पि अंकार दर्ज है जबकि पुनर्लिख संख्या दरतावेज व जमावन्दी के अनुसार धारकता का सही नाम मांगीलाल पि अंकार है जो संशोधित किया जाना अर्चित है।

सु.अ.निरीक्षक  
18-10-25

रिपोर्ट तहसीलदार, बागोर

रिपोर्ट पूर्ववर्ती स्वम जांच व अभिलेख निरीक्षण - अनुसार ग्राम बांकली के खा. सं. 5, 74, 282 जमावन्दी सम्वत् 2075-2078 में मांगु पि अंकार के बजाय मांगीलाल पिता अंकार दर्शगा सुद करने की अनुपस्था की जाती है।

सु.अ.निरीक्षक  
बागोर  
27/10/25  
प्र-आजी

आदेश

जायब तहसीलदार बागोर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बांकली पटवार हल्का पांखेडा तहसील माण्डल में स्थित खाता सं- 574, 282 में अंकित धारकता मांगु पिता अंकार के बजाय मांगीलाल पिता अंकार दर्शगाराजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करागद करे।

उपखण्ड अधिकारी -----

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा